न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०), कानपुर–देहात।

UPRN010036832026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–346/2026

दीपक बनाम शीलू आदि

दिनांक–24.07.2026

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व में प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थी/आवेदक दीपक की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण शीलू आदि के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 05.03.2026 को समय सुबह करीब 09.00 बजे प्रार्थी अपने घर से ट्रैक्टर की किश्त जमा करने मु०–48,000/– रुपये लेकर जा रहा था तभी रास्ते में गांव के ही शीलू, साहिल पुत्रगण ओमवीर, देवेन्द्र सिंह उर्फ सोनू पुत्र दशरथ सिंह व राजा पुत्र करन सिंह, आशीष पुत्र रघुवीर, आनन्द उर्फ लालू पुत्र योगेन्द्र प्रताप सिंह व गौरव प्रताप सिंह उर्फ जीतू पुत्र वीरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम सिहारी थाना माधवगढ़ जनपद जालौन, गौरव उसके गाँव में ही रिश्तेदारी में रहता था। गौरव उसे अपने साथ ले जाकर सोची समझी रणनीति के तहत उपरोक्त सभी लोगों द्वारा घेर लिया गया जान से मारने की नियत से शीलू ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया तो प्रार्थी जमीन पर गिर गया तो उपरोक्त सभी लोग लात घूसों से मार पीट करने लगे। प्रार्थी अपने बचाव के लिये चिल्लाया तो साहिल ने प्रार्थी का गला दबा लिया, गला दबाने के कारण प्रार्थी बेहोश हो गया। प्रार्थी की जेब में रखे 48,000/–रुपये व एक सोने की चैन लूट लिये प्रार्थी को मरा समझकर उपरोक्त सभी लोग भाग गये। प्रार्थी के होश आने पर देखा तो हाथ पैर से खून निकल रहा था और शरीर में गम्भीर पीड़ा हो रही थी प्रार्थी जैसे–तैसे थाना मंगलपुर गया और एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया थाना पुलिस द्वारा मजबरूबी चिट्ठी के साथ कान्सटेबल सहित प्रार्थी को भेजकर उसका डॉक्टरी परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र झींझक में कराया जिसमें प्रार्थी को तीन चोटें आई थी तब से लेकर आज तक थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति साथ प्रार्थनापत्र संलग्न है। थाना मंगलपुर की पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर प्रार्थी ने एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 12–6–26 श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात को प्रेषित किया किन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही अमल में नही लायी गई। प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात, एक किता मूल डाक रसीद, मेडिकल लीगल रिपोर्ट इंजरी की छायाप्रति व आधार कार्ड की प्रति दाखिल किया गया है।

संबंधित थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदक दीपक सिंह के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को घटना के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है, जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ.प्र.राज्य,2001(43) ए.सी.सी., इलाहाबाद उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ योगेन्द्र सिंह बनाम स्टेट आफ यू.पी.2005(2) जे.आई.सी. 686 इलाहाबाद हाई कोर्ट, श्रीमती अन्जू प्रति स्टेट आँफ यू.पी. एवं**

अन्य 2009(4) जे.आई.सी.779, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुखवासी बनाम उ.प्र. राज्य 2008(1) ए.सी.आर. 170, मोहन शुक्ला एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2005(1) ए.सी.आर.155, सुरेश चन्द्र जैन प्रति मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य 2001(42) ए.सी.सी.459(सुप्रीम कोर्ट), जोसेफ माथुरी उर्फ विवेकानन्द व अन्य प्रति स्वामी सच्चिदानन्द हरी साक्षी व अन्य 2001(सप्लीमेंट्री) ए.सी.सी.957(सुप्रीम कोर्ट) में दी गयी व्यवस्थाओं के आलोक में यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 24.09.2026 को पेश हो। तदनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० निस्तारित किया जाता है।

(पारुल श्रीवास्तव)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर–देहात।

दिनांक–24.07.2026

Digitally signed by Parul Srivastav
Date: 2026.07.24 16:45:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court